

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



हिन्दी अधिकारी
Hindi Officer

ई-मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in
दूरभाष क्र. : (07582) 297118

क्रमांक: /रा.भा./2026/ति.रि./5048

23 अप्रैल, 2026

प्रतिष्ठा में,

संयुक्त सचिव
राजभाषा अनुभाग
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002।

विषय - तिमाही प्रगति रिपोर्ट, जनवरी से मार्च, 2026।

महोदय,

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट (जनवरी से मार्च, 2026) निर्धारित प्रपत्र में भरकर आपकी ओर सादर प्रेषित है।

भवदीय,

संतोष सोहगौरा
संयुक्त कुलसचिव एवं
राजभाषा अधिकारी (प्र.)

संलग्नक - राजभाषा की तिमाही प्रगति रिपोर्ट।

प्रतिलिपि: -

1. संयुक्त सचिव, राजभाषा प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निदेशक (राजभाषा), राजभाषा प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव, (राजभाषा), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
4. उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), भोपाल, 52 ए, निर्माण सदन, कमरा नं. 206, द्वितीय तल अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश - 462011
5. अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर।

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

मार्च माह को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता : डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं.: एस.टी.डी. कोड 07582 फोन नं. 297118 ई-मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in

1. माननीय मंत्री जी को भेजी गई फाइलों का ब्यौरा

- i. तिमाहीके दौरान संबंधित माननीय मंत्री जी को कितनी फाइलें भेजी गई : लागू नहीं
- ii. इसमें से कितनी फाइलें हिन्दी में भेजी गई : लागू नहीं

2. सचिव/समकक्ष स्तर पर बैठकों/फाइलों का ब्यौरा

- i. सचिव/समकक्ष स्तर पर कितनी बैठकें आयोजित की गई : लागू नहीं
- ii. इनमें से कितनी बैठकों की कार्यवाही हिन्दी में की गई/कार्यवृत्त हिन्दी में जारी किए गए : लागू नहीं
- iii. सचिव/समकक्ष के स्तर से सीधे जारी किए गए कुल कागजात : लागू नहीं
- iv. हिन्दी में जारी किए गए कागजात की कुल संख्या : लागू नहीं

3. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

क- जारी दस्तावेज की कुल संख्या	:	57
ख- द्विभाषी रूप में जारी किए गए दस्तावेज की संख्या	:	57
ग- केवल अंग्रेजी में जारी किए गये दस्तावेज	:	निरंक
घ- केवल हिन्दी में जारी किए गए दस्तावेज	:	निरंक

(संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र, द्विभाषिक रूप में (अंग्रेजी और हिन्दी) में जारी)

4. हिन्दी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)

(क) हिन्दी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या	:	2072
(ख) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे	:	494
(ग) इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी/द्विभाषी में दिए गए	:	1578
(घ) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	:	निरंक

5. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
'क' क्षेत्र से	878	597	130	151
'ख' क्षेत्र से	214	131	68	15

6. मूल रूप से भेजे गये पत्रों/पत्राचार का ब्यौरा

	हिन्दी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को	2177	475	2652	82%
'ख' क्षेत्र को	255	68	323	78%
'ग' क्षेत्र को	2	11	13	15%

7. फाइलों/आवतियों/ई-ऑफिस पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा

हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	:	1851
अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	:	408
टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या	:	2259
ई-ऑफिस के माध्यम से भेजी गई टिप्पणियों की संख्या	:	209

(**हिन्दी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए।)

(**मद संख्या 4, 5 व 6 के संबंध में हिन्दी में भेजे गए तथा प्राप्त अधिकारिक ई-मेल को भी शामिल किया जाए।)

8. हिन्दी कार्यशालाएं

तिमाही के दौरान आयोजित पूर्ण दिवसीय कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या	
	अधिकारी	कर्मचारी
1	2	3
01	02	44

नोट : कार्यालयों में हर कार्मिक को प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित है।

9. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक :

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि : 31 मार्च, 2026

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या : निरंक

(ग) अधीनस्थ कार्यालयों में तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या : निरंक

(घ) क्या इन बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त हिन्दी में जारी किए गए ? हां/नहीं

10. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की तिथि : लागू नहीं

11. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 500 कैरेक्टर)

i.	नवोन्मेषी कार्य	1. विश्वविद्यालय की वार्षिक गृह राजभाषा पत्रिका 'भाषा भारती' के 11वें अंक का प्रकाशन किया गया।
ii.	विशिष्ट आयोजन/उल्लेखनीय कार्य	—
iii.	हिन्दी माध्यम में किये गए अन्य आयोजन	1. प्रवेश प्रकोष्ठ द्वारा - विश्वविद्यालय में संचालित पीएच.डी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में हिन्दी माध्यम से विज्ञापन विज्ञापित किये गये। 2. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हिन्दी माध्यम से प्रवेश हेतु विभिन्न सूचनाएँ, आदेश एवं दिशा-निर्देश निरंतर जारी किये गये। 3. राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 12.01.2026 को विभाग में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के कार्यक्रम 'विकसित भारत युवा संवाद (VBYLD) 2020 आयोजित किया गया।

12. उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम :

पदनाम :

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर :

फैक्स नम्बर :

ई-मेल का पता :

प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर
कुलपति 96/12/2026
कुलपति/Vice-Chancellor
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय
Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya
(07582) 264163 (M.P.) 470003
(07582) 264163
vc@dhsgru.edu.in

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

भाग - II

(इसे केवल 31 मार्च को समाप्त तिमाही रिपोर्ट के भाग-I के साथ भेजा जाए)

1. (i)	क्या कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) (अर्थात कार्यालय के कुल स्टाफ में से 80% को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है) के अंतर्गत अधिसूचित है ?	हाँ
--------	---	-----

(ii) नियंत्रणाधीन कार्यालयों (यदि हों) की राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचना का विवरण :-

कुल कार्यालयों की संख्या	अधिसूचित कार्यालयों की संख्या	शेष कार्यालयों को अधिसूचित करने हेतु की गयी कार्रवाई
1	2	3
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2(i) अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी का ज्ञान

		अधिकारी		कर्मचारी		कुल संख्या
		1		2		3
(क)	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या	27		233		260
(ख)	अनुसचिवीय कार्य से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या*	27		123		150
(ग)	उपर्युक्त (क) में से हिन्दी का ज्ञान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी	कार्यसाधक	प्रवीण	कार्यसाधक	प्रवीण	
		02	25	-	233	260
(घ)	कितने कर्मों हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण ले रहे हैं ?	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ङ)	हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए शेष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

* कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो फाइल कार्य/पत्राचार से जुड़ा है, अनुसचिवीय की श्रेणी में माना जाएगा।

2(ii) हिन्दी आशुलिपिक/टंकण का ज्ञान

		कुल संख्या	हिन्दी में प्रशिक्षित की संख्या	प्रशिक्षित में से कितने हिन्दी में काम करते हैं।	प्रशिक्षण के लिए शेष
		1	2	3	4
(क)	आशुलिपिक*				
(ख)	टंकक/लिपिक/सहायक अनुभाग अधिकारी/निजी सहायक	80	80	80	00
(ग)	कर/पोस्टल सहायक आदि				

• इसमें निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, प्रधान स्टाफ अधिकारी भी शामिल हैं

2(iii) अनुवाद का ज्ञान

		अधिकारी	कर्मचारी	कुल संख्या
(क)	कुल अधिकारी/कर्मचारी जो अनुवाद कार्य करते हैं।	-	01	01
(ख)	उक्त (क) में से अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त।	01	-	01
(ग)	कितनों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है।	निरंक	01	01

3 कंप्यूटर पर हिन्दी टंकण करने के लिए प्रशिक्षण

कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	कंप्यूटर पर हिन्दी टंकण प्रशिक्षितों की संख्या	कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने वालों की संख्या
1	2	3
260	233	260

4. कंप्यूटर/लैपटॉप से संबंधित विवरण

कम्प्यूटर/लैपटॉप की कुल संख्या	यूनिकोड सक्षम (enabled) कंप्यूटर/लैपटॉप की संख्या	हिंदी में किये गए कार्य का प्रतिशत
1	2	3
390	390	71%

5. कोड, मैनुअल, मानकीकृत प्रपत्र आदि

	कुल संख्या	द्विभाषी
	1	2
(क) अधिनियम/नियम/कार्यालयीन कोड/मैनुअल प्रक्रिया साहित्य आदि	76	76
(ख) मानकीकृत प्रपत्र	15	15

6. (i) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने हेतु कुल कितने कार्मिकों को व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए :- समस्त कार्मिकों को हिन्दी में कार्य करने हेतु आदेश जारी किया गया।

(ii) शेष कार्मिकों की संख्या :

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम (केवल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए)

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्योरा (नाम)	प्रशिक्षण की अवधि घंटों में		
	हिन्दी में दिए गए प्रशिक्षण	अंग्रेजी में दिए गए प्रशिक्षण	मिजी जुली भाषा में दिए गए प्रशिक्षण
1	2	3	4
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8. वर्ष के दौरान किए गए राजभाषा से संबंधित निरीक्षण

(क) (i) अनुभागों की कुल संख्या (अध्ययनशाला 11 + विभाग 39 + अनुभाग 34) कुल = 84

(ii) इनमें से निरीक्षित अनुभागों की संख्या = 10

(ख) (i) अधीनस्थ कार्यालयों इत्यादि (यदि कोई हो) की कुल संख्या -----

(ii) इनमें से निरीक्षित कार्यालयों की संख्या -----

9. पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन

कुल संख्या	हिन्दी में	अंग्रेजी में
1	2	3
05	हिन्दी - 04 द्विभाषी - 01	00

10. हिन्दी पुस्तकों की खरीद (ई-बुक/डिजिटल माध्यम/ई-हिन्दी समाचार पत्र सहित)

(क) वर्ष के दौरान पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय : 49,99,941=00

(ख) हिन्दी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय : 6,46,132=00

11. उप सचिव/समकक्ष एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिन्दी में कार्य

अधिकारियों की कुल संख्या	हिन्दी जानने वाले अधिकारियों की संख्या	कालम 2 में से हिन्दी में कार्य करने वालों की संख्या					
		नहीं करते हैं	25 प्रतिशत तक करते हैं	26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं	51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं	76 प्रतिशत से अधिक करते हैं	शत-प्रतिशत करते हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
07	07	-	-	-	-	07	-

12. हिन्दी जानने वाले (प्रवीणता तथा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त) उप सचिव/समकक्ष से नीचे के स्तर के कार्मिकों द्वारा

हिन्दी में कार्य

अधिकारियों की कुल संख्या	हिन्दी जानने वाले अधिकारियों की संख्या	कॉलम (2) में से हिन्दी में कार्य करने वालों की संख्या					
		नहीं करते हैं	25 प्रतिशत तक करते हैं	26 से 50 प्रतिशत तक करते हैं	51 से 75 प्रतिशत तक करते हैं	76 प्रतिशत से अधिक करते हैं	शत-प्रतिशत करते हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
280	280	-	02	-	-	278	-

13. हिन्दी के पद

पदनाम	पदों की संख्या (मुख्यालय में)		पदों की संख्या (अधीनस्थ कार्यालयों में)	
	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5
हिन्दी अधिकारी	01	00		
हिन्दी अनुवादक	01	00		
हिन्दी टंकक	01	01		

14. वेबसाइट (संगत स्थान पर टिक (v) चिन्हित करें)

वेबसाइट का पता	केवल अंग्रेजी में	आंशिक रूप से द्विभाषी	पूरी तरह से द्विभाषी	वेबसाइट खुलते समय हिंदी व अंग्रेजी भाषा के चयन का विकल्प
1	2	3	4	5
www.dhsgsu.edu.in	www.dhsgsu.edu.in	नहीं	हाँ	हाँ

15. वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण :

(क) हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखावाड़ा/माह (कब से कब तक) : हिन्दी पखावाड़ा- 2025 दिनांक 14.09.2025 से 26.09.2025 तक मनाया गया।

(ख) हिन्दी संगोष्ठी की तिथि और विषय - -----

(ग) उपर्युक्त (क) के अलावा हिंदी में अन्य आयोजन की तिथि और विषय (यदि कोई हो)

(घ) नवोन्मेषी कार्य (यदि कोई हो)

16. केवल अधीनस्थ कार्यालयों के लिए :-

क. क्या आपका कार्यालय नराकास का सदस्य है ? हाँ

ख. पिछली बैठक के आयोजन की तारीख :- 17 नवम्बर, 2025

ग. क्या विभागाध्यक्ष ने विचाराधीन वर्ष में नराकास की दोनों बैठकों में भाग लिया ? हाँ

17. उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मंत्रालय/विभाग/संगठन की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का

नाम :

पदनाम :

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर :

फैक्स नम्बर :

ई-मेल का पता :

वाय. एस. ठाकुर
06/08/2025

कुलपति/Vice-Chancellor
डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय
Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya
सगर (म. प्र.)/Sagar (M.P.) 470003

(07582) 264796

(07582) 264163

vc@dhsgsu.edu.in

नोट : कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड : ofmp 1879

वित्तीय वर्ष : 2025-26

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न मार्च-2026 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-11) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

का. एम. ठाकुर
06/08/2025
(मोहर सहित हस्ताक्षर)

मंत्रालय/विभाग/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम..... प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर
पदनाम..... कुलपति डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय
कार्यालय का नाम..... डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (M.P.) 470003
दूरभाष/फैक्स..... 07582-264796
ई-मेल का पता..... vc@dhsgsu.edu.in

तिथि :-

स्थान :- सागर (म.प्र.)

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।